राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	कल्याणदत्त बनाम सूरजमल हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 15/2025	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19/12/2025	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थीगण की और से अधिवक्ता उपस्थित आये। अत: अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस प्रार्थना पत्र पुर्नविर्लोकन (रिव्यु) पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते आदेश हेतु दिनांक 31/12/2025 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	
31/12/2025	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र रिव्यु में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केवल प्राथमिक डिक्री पारित की गयी है, जिसमे अप्रार्थीगण/अपीलार्थी के विधिक अधिकारों पर कोई विपरित प्रभाव नही पड़ता है एवं प्राथमिक डिक्री को निरस्त किये जाने से प्रकरण के निस्तारण में काफी लम्बा समय लगने की सम्भावना है तथा प्रकरण में अनावश्यक पेचीदगीयां बढ़ जावेगी। अप्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा वाद की कार्यवाही में पूर्व में ही आदेश 01 नियम 10 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश किया हुआ है, जिसमे निर्णय नही हुआ है। अत: मूल अपील में पारित रिव्यू अधीन निर्णय दिनांक 17/11/2025 में आंशिक संशोधन करते हुये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री दिनांक 24/05/2023 को निरस्त नही किये जाने बाबत आदेश प्रदान किये जावे। अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में निवेदन किया कि इस रिव्यु प्रार्थना पत्र के प्रार्थी द्वारा स्वयं अपनी बहस में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में अप्रार्थी की और से प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 सी.पी.सी. पेश होना तथा उसका निर्णय नही होना दर्ज कराया गया है, जिससे ही स्पष्ट हो जाता है कि अप्रार्थी/अपीलार्थी को सुने बगैर प्राथमिक डिक्री अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित की गयी है, जो विधिसम्मत नही रह जाती है। अधिवक्ता अप्रार्थी ने आगे बहस में हमारा ध्यान मूल अपील संख्या 767/2023 में पारित निर्णय दिनांक 17/11/2025 की और आकर्षित करा कर निवेदन किया कि इस रिव्यु प्रार्थना पत्र के प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई त्रुटीपूर्ण बिन्दु अपने प्रार्थना पत्र एवं दौराने बहस जाहिर नही किया गया है, जिससे कि न्यायालय द्वारा रिव्यूअधीन निर्णय दिनांक 17/11/2025 को पारित करते हुए कोई ऐसी गम्भीर त्रुटी किया जाना साबित होता है। विधि अनुसार भी रिव्यु की परिधी बहुत सिमित है। अत: मूल अपील में पारित रिव्युअधीन निर्णय दिनांक 17/11/2025 में कोई हस्तक्षेप नही करते हुये रिव्यु प्रार्थना पत्र ख़ारिज फरमाया जावे। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	कल्याणदत्त बनाम सूरजमल हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में पत्रावली का मय निर्णय दिनांक 17/11/2025 अवलोकन किये जाने से उसमे कोई तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटी होना जाहिर नही होता है | इसके अतिरिक्त कानूनन रिव्यु की परिधी सिमित होती है एवं प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र रिव्यु एवं दौराने बहस ऐसा कोई ठोस तर्क अथवा त्रुटी जाहिर नही की गयी है, जिससे की निर्णय दिनांक 17/11/2025 में कोई हस्तक्षेप किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित्त प्रतीत होता हो | अत: प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पुर्नविलोकन(रिव्यु) स्वीकार योग्य जाहिर नही होने से ख़ारिज किया जाता है |

प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर